

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या- 51/2017/अधि0-847/सात-न्याय-1-17-8(अ)/02 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2017

**संशोधन-पत्र**

स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था विषयक न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) के कार्यालय ज्ञाप संख्या- अधि0-576/सात-न्याय-1-17-8(अ)/02 दिनांक 05-05-2017 के द्वारा श्री अरूण कुमार राय, अनु सचिव को दिनांक 28-9-2005 को धारित पद समीक्षा अधिकारी के देय वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में प्राप्त वेतन पर उसकी अगली देय वेतनवृद्धि के बराबर धनराशि अर्थात् रू0 175/- (रू0 एक सौ पचहत्तर ) का वैयक्तिक वेतन दिनांक 28-09-2005 से स्वीकृत किया गया था।

2- अतः उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या- अधि0-576/सात-न्याय-1-17-8(अ)/02 दिनांक 05-05-2017 के पृष्ठांकन में क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/इरला चेक अनुभाग (एक अतिरिक्त प्रति सहित) के स्थान पर इरला चेक अनुभाग (एक अतिरिक्त प्रति सहित) पढा जायें।

3- उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 मई, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

ह0/- विपिन कुमार  
विशेष सचिव।

संख्या- 51/2017/अधि0-847(1)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग (एक अतिरिक्त प्रति सहित)
- 3- सम्बन्धित अधिकारी।
- 4- गार्ड फाइल हेतु/इण्टरनेट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,  
ह0/-डा0 निरूपमा वर्मा  
संयुक्त सचिव।